बशीर @ एन. पी. बशित

बनाम

केरल राज्य

अप्रैल 20,2004

[के. जी. बालकृष्णन और बी. एन. श्रीकृष्णा, न्यायाधिपतिगण]

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 :धाराये 21 और 27 (2) - मादक पदार्थ - व्यक्तिगत उपभोग के लिए बताए गए-साबित करने की जिम्मेदारी - आरोपी ब्राउन श्गर बेचता हुआ पाया गया-तलाशी लेने पर उसकी जेब से ब्राउन शुगर वाले छोटे पैकेट बरामद हए -दोषसिद्धि – तर्क कि थोडी मात्रा में 1.2 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई आरोपी से यह माना जायेगा कि उसका उपयोग व्यक्तिगत उपभोग के लिये किया गया है और उसे धारा 27 के तहत कम सजा दी जाये - धारा 27 की उप-धारा (2) को ध्यान में रखते हुए यह साबित करने का बोझ अभियुक्त पर है कि उसके पास से बरामद हुई ब्राउन शुगर, व्यक्तिगत उपयोग के लिये थी – ब्राउन शुगर अपीलकर्ता की शर्ट की जेब में रखी गई थी और उसने मादक पदार्थ के कब्जे में होने से पूरी तरह इंकार कर दिया - जब सीआरपीसी की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई उसके पास ऐसा कोई विशिष्ट मामला नहीं था कि मादक पदार्थ उसके निजी उपयोग के

लिये था – यह दिखाने के लिये कोई सामग्री नहीं थी कि आरोपी ने अपने निजी उपभोग के लिये मादक पदार्थ अपने कब्जे में रखा था, जबिक साक्ष्य से पता चलता है कि मादक पदार्थ 6 छोटे पैकेटो में रखा गया था और वह एक सडक पर पाया गया जिससे स्पष्ट रूप से पता चला कि वह अपने ग्राहको का इंतजार कर रहा था – उस पृष्ठभूमि में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त धारा 27 के लाभ का हकदार था — उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि जांच अधिकारी ने धारा 42 और 50 के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया है।

अल्पेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य, जे. टी. (2002) 10 एस. सी. 219 और गौटर एडविन, किर्चर बनाम गोवा राज्य, सचिवालय पणजी, जे. टी. (1993) 2 एस. सी. 285, अंतर किया गया।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील सं. 1334/2002

आपराधिक अपील संख्या 269/2001 में केरला उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 11/9/2001 से

टी. एन. सिंह, श्याम नारायण सिंह, सुश्री आशा गोपालन नायर, श्रीमती बी. सुनीता राव और शकील अहमद सैयद, अपीलार्थी के लिये।

के. आर. शशिप्रभु, रमेश बाबू, सुश्री सुषमा सूरी, सुब्रमण्यम प्रसाद और सुश्री विभा दत्ता मखीजा, प्रतिवादी के लिये।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

अपीलार्थी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने उसे 10 साल की अविध के लिए कारावास की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना 6 महीने के लिए एक डिफ़ॉल्ट सजा के साथ सजा सुनाई। दोषसिद्धि और सजा को अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

अपीलार्थी के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 23.2.2000 को लगभग 4.15 बजे सांय अपीलार्थी को ब्राउन शुगर बेचते हुए पाया गया। नादक्कावु पुलिस स्टेशन के पीडब्लू-2 उप-पुलिस निरीक्षक को जानकारी मिली कि कोई ब्राउन शुगर बेच रहा है और उन्होंने यह जानकारी दर्ज की, उसी की प्रति तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को भेजी गई और पुलिस दल के साथ उस स्थान पर गए और उन्हें अपीलकर्ता वहां मिला। पीडब्लू-2 और अन्य लोगों को देखकर, अपीलार्थी ने उस स्थान से भागने की कोशिश की और पीडब्लू-2 ने उसे जाने से रोक दिया और उसे बताया कि यह संदेह है कि अपीलार्थी के पास ब्राउन शुगर थी और उसके शरीर की तलाशी ली जानी है। पीडब्लू-2 ने अपीलार्थी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत उसके अधिकार से भी अवगत कराया और अपीलार्थी ने मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकार से भी अवगत कराया

शरीर की तलाशी लेने के विशेषाधिकार से इंकार कर दिया और इसिलये तलाशी ली गई और अपीलकर्ता की जेब से छोटे छोटे पैकेट बरामद हुये जिनमें ब्राउन शुगर पाई गई। पीडब्लू-2 ने एक मज़हर तैयार किया और उसे बरामद किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पीडब्ल्यू 1 से 3 को परीक्षित कराया गया। अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया था और यह साबित करने के लिए कि डी. डब्ल्यू.-1 और डी. डब्ल्यू.-2 को परीक्षित कराया गया। प्रदर्श पी 1 और पी-2 दस्तावेजों को भी चिल्हित किया गया था। प्रदर्श पी 1 / रासायनिक विश्लेषक से पता चलता है कि अपीलार्थी से बरामद वस्तु ब्राउन शुगर थी।

अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 का उल्लंघन किया गया था और उसने यह भी तर्क दिया कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया था। ये दोनों दलीलें विशेष न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दी गई थी।

हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील को सुना। अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता से बरामद ब्राउन शुगर की मात्रा 1.2 ग्राम थी और यह एक छोटी मात्रा है और न्यायालय यह मान लेगा कि उसने इसका उपयोग व्यक्तिगत उपभोग के लिए करने का इरादा किया था, और इसलिए उसे केवल कम सजा दी जानी चाहिए थी, जैसा कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 की धारा 27 के तहत परिकल्पित है। वर्तमान मामले में, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी से बरामद ब्राउन शुगर व्यक्तिगत उपभोग के लिए थी। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 27 की धारा (2) विशेष रूप से कहती है कि यह साबित करने का भार अभियुक्त पर है कि यह व्यक्तिगत उपभोग के लिए था। परंतुक निम्नलिखित प्रभाव के लिए पढता है:

" जहाँ किसी व्यक्ति को छोटी मात्रा में नशीली दवा या साइकोट्रॉपिक पदार्थ अपने कब्जे में दिखाया गया है,तो यह साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा कि यह ऐसे व्यक्ति के व्यक्तिगत उपभोग के लिये था, न कि बिक्री या वितरण के लिए।"

यहां ब्राउन शुगर अपीलकर्ता की शर्ट की जेब में रखी गई थी और अपीलार्थी ने पूरी तरह से इस बात से इनकार किया कि उसके पास मादक पदार्थ था। जब उससे धारा 313 Cr.P.C के तहत पूछताछ की गई तो उसके पास कोई विशिष्ट मामला नहीं था कि दवा उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए थी। अपीलार्थी के वकील ने अल्पेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य जे. टी. (2002) 10 एस. सी. 219 के निर्णय में हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक विशिष्ट दलील के अभाव में भी यदि परिस्थितियों से पता चलता है कि नशीली दवा व्यक्तिगत उपयोग के लिए थी, तो न्यायालय एक निष्कर्ष निकालने और

यह अभिनिर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा कि दवा व्यक्तिगत उपयोग के लिए थी। उस मामले में, आरोपी से दो सिगरेट के रूप में नशीली दवा बरामद की गई थी और अदालत ने यह अनुमान लगाया कि उसके पास मौजूद मादक पदार्थ उसके व्यक्तिगत सेवन के लिए हो सकता है। अदालत ने गौन्टर एडविन किर्चर बनाम गोवा राज्य, सचिवालय पणजी, जे. टी. (1993) 2 एस. सी. 285 में इस न्यायालय के पहले के फैसले पर भी भरोसा किया। उस मामले में अभियुक्त के पास चिलम (स्मोकिंग पाइप) के साथ एक थैली में नशीला पदार्थ था और धूम्रपान सामग्री और विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन में आरोपी से निकाले गए कथनों से पता चला कि यह उसके व्यक्तिगत उपभोग के लिए था।

वर्तमान मामले में, यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि आरोपी ने अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए मादक पदार्थ अपने कब्जे में रखा था, जबिक साक्ष्य से पता चलता है कि मादक पदार्थ 6 छोटे छोटे पैकेटो में रखा गया था और वह एक सडक पर पाया गया था जो स्पष्ट रूप से दिखाता था कि वह अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। उस पृष्ठभूमि में, हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं कि अपीलार्थी एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 27 के लाभ का हकदार था। उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि जाँच अधिकारी ने एन.

डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 और 50 के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया।

हम अपील में कोई गुणावगुण नहीं पाते हैं और अपील तदनुसार खारिज की जाती है।

अपीलार्थी जमानत पर है। उसके जमानत मुचलके निरस्त किये जायेंगे और उसे 3 सप्ताह के भीतर अपने जमानत मुचलके को समर्पण करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर विशेष न्यायाधीश उसे सजा की शेष अविध से गुजरने के लिए गिरफ्तार करने के लिए उचित कदम उठाएगा।

अपील खारिज की गई।

आर. पी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।